



(७७)

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर म.प्र.

R-2080 - PBR/2011

प्रकरण क्रं/

/निगरानी

सादिक अली पुत्र स्व. श्री बरकतअली खान उम्र 62 वर्ष व्यवसाय कृषि निवासी-ग्वालियर पॉटरीज के सामने हाकिम अनवरखां साहिब की बगिया कम्पू लश्कर ग्वालियर हाल-कटीघाटी रामाजी का पुरा ए.बी. रोड लश्कर ग्वालियर।

....प्रार्थी

विरुद्ध

1. मोहम्मद सुलेमान खान पुत्र स्व. श्री मोहम्मद याकूब खान निवासी-न्यू दुर्गा कॉलोनी गुना
2. सुदर्शन झंवर एवं भरत झंवर पुत्रगण दामोदरदास झंवर निवासी-सराफा बाजार लश्कर ग्वालियर
3. मुन्नी बेगम पत्नी मोहम्मद जब्बार खां निवासी-हकीम जी की बगिया आमखो लश्कर ग्वालियर (फॉर्मल रेस्पोन्डेन्ट)
4. साबिर अली खां पुत्र सादिक अली खान निवासी-रामाजी का पुरा ए.बी. रोड लश्कर ग्वालियर ....प्रतिप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र निगरानी विरुद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 470/10-11/अपील आदेश दिनांक 13.09.2011 अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

*[Handwritten signatures and dates]*

9.12.11

P.W.D. No. 11  
As per receipt  
Bhawani  
9.12.11

*[Signature]*

**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

**समक्ष : मनोज गोयल,**

**अध्यक्ष**

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2070-पीबीआर/2011 विरुद्ध आदेश दिनांक  
13-9-2011 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर,  
प्रकरण क्रमांक 471/अपील/2010-11

सादिक अली पुत्र श्री बरकतअली (मृत)

द्वारा वारिसान :-

- 1—साविर अली खान
- 2—आसिफ अली खान
- 3—जावेद अली खान
- 4—फारूख अली खान
- 5—साकिर अली खान
- 6—शर्मिला वेगम
- 7—शकीना वेगम

समर्त पुत्रगण एवं पुत्रीगण स्व.श्री सादिकअली खाँ

निवासीगण ग्वालियर पॉटरीज के सामने,

हकीम अनवर खाँ साहब की बगिया,

कम्पू लश्कर, ग्वालियर

होल — रामाजी का पुरा, कटीघाटी,

ए.बी.रोड ,लश्कर, ग्वालियर

.....आवेदकगण

**विरुद्ध**

1— मो०सुलेमान खाँ पुत्र स्व०श्री मो०याकूब खाँन,

निवासी न्यू दुर्गा कॉलोनी गुना

2— ए०पी०एज्यूकेशनल सोसायटी जर्ये सचिव

भरत झेवर पुत्र दामोदरदास झेवर

निवासी सराफा बाजार लश्कर ग्वालियर

3— मुन्नी बेगम पत्नी मो.जब्बार खाँ

निवासी हकीम जी की बगिया आमखो लश्कर ग्वालियर(फॉर्मल रेस्पोन्डेंट)

4— साविर अली खाँ पुत्र सादिक अली खाँन,

निवासी रामाजी का पुरा,

ए.बी.रोड ,लश्कर, ग्वालियर

.....अनावेदकगण

श्री पी.एन.शर्मा, अभिभाषक—आवेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक—अनावेदक कमांक 2

श्री एम०पी० भटनागर, अभिभाषक—अनावेदक कमांक 3

### :: आ दे श ::

( आज दिनांक १३/५/१२ को पारित )

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संक्षेप में केवल “संहिता” कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-09-2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 2 संस्था द्वारा अनावेदक कमांक 1 से ग्राम डोंगरपुर, पुतलीघर तहसील व जिला ग्वालियर रिथ्त भूमि कुल किता 5 कुल रकबा 0.992 हेक्टेयर क्य की जाकर संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 87/2007-08/अ-6 दर्ज कर दिनांक 15-1-2009 को आदेश पारित किया जाकर अनावेदक कमांक 1 के स्थान पर अनावेदक कमांक 2 का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22-11-2010 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 13-9-2011 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत करने में मात्र 16 दिन का विलम्ब हुआ था और अपर आयुक्त द्वारा अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि विधि का

०२

०५

सुस्थापित सिद्धांत है कि नकल लेने में लगे समय को विलम्ब की अवधि में से कम किया जाता है, परन्तु अपर आयक्त द्वारा इस आधार पर अपील को अवधि बाह्य माना है कि नियत दिनांक 24-7-11 को नकल तैयार हो गई थी, परन्तु आवेदक नकल लेने दिनांक 10-8-11 को उपरिथित हुआ है। तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा नकल प्राप्त करने से समय सीमा में अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है जिसे अवधि बाह्य मानकर अपील निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा विधि की गंभीर भूल की गई है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा अपील का तकनीकी बिन्दु के आधार पर निराकरण नहीं कर गुणदोष के आधार पर निराकरण करना चाहिये था। उनके द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील में विलम्ब क्षमा करते हुये अपील का गुणदोष पर निराकरण करने के लिये प्रकरण अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किये जाने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 व 4 के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

5/ अनावेदक क्रमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के प्रश्नाधीन आदेश की नकल दिनांक 24-7-2011 को तैयार हो गई थी और नियत दिनांक 24-7-2011 को आवेदक नकल लेने हेतु उपरिथित नहीं हुआ और उसके द्वारा दिनांक 15-8-2011 को आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त की गई, अतः अपर आयुक्त द्वारा अपील को अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है। यह भी कहा गया कि आवेदक को जिस दिन नकल तैयार हुई थी उसी दिन प्राप्त करना चाहिये थी, क्योंकि नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 24-7-2011 ही नियत की गई थी, अतः आवेदक की लापरवाही स्पष्टतः परिलक्षित होती है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की ओर से अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का समुचित कारण नहीं दर्शाया गया है। उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

6/ अनावेदक क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्कों को समर्थन दिया गया।

7/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा आवेदक को अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब के संबंध में समय सीमा की गणना गलत की गई है, क्योंकि नकल प्राप्त करने से ही समय सीमा की गणना की जाना चाहिये। आवेदक द्वारा कई बार नकल प्राप्त करने का प्रयास किया गया, परन्तु उसे नकल प्राप्त नहीं हुई, इसलिये सन्देह का लाभ आवेदक को मिलना चाहिये। अतः इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत नहीं होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण अपर आयुक्त को आवेदकपक्ष द्वारा प्रस्तुत अपील को समयावधि में लेकर गुणदोष पर निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-09-2011 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण करने हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

9/ यह आदेश निगरानी प्रकरण क्रमांक 2071-पीबीआर/2011, निगरानी प्रकरण क्रमांक 2072-पीबीआर/2011, निगरानी प्रकरण क्रमांक 2073-पीबीआर/2011, निगरानी प्रकरण क्रमांक 2074-पीबीआर/2011, निगरानी प्रकरण क्रमांक 2075-पीबीआर/2011, निगरानी प्रकरण क्रमांक 2076-पीबीआर/2011, निगरानी प्रकरण क्रमांक 2077-पीबीआर/2011, निगरानी प्रकरण क्रमांक 2078-पीबीआर/2011, निगरानी प्रकरण क्रमांक 2079-पीबीआर/2011 निगरानी प्रकरण क्रमांक 2080-पीबीआर/2011 पर भी लागू होगा। अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त निगरानी प्रकरणों में संलग्न की जाये।

*ok*

*oos*  
(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,  
ग्वालियर